शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ. 53(17)/ अता प्र.सं. 81/तृतीय सत्र (बजट सत्र–2022)/दिविस/श.वि./2052-54 दिनांकः 24.03.2022

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) अतारांकित प्र. स. 81 मान्नीय विधायक श्री नरेश सिंह , दिनांक 28.003.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

4/C

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री जरनैल सिंह

दिनांक : 28.03.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 81

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या शहरी विकास विभाग में किसी वित्तीय वर्ष में विधायक निधि में बची हुई राशि को अगले वर्ष में स्थानांतरित करने का प्रावधान है, और	एमएलएलैड (शहरी विकास विभाग) से प्राप्त जानकारी के अनुसार जी हां ।
ख	यदि हॉ, तो 2020–21 एवं 2021–22 में विधानसभावार पुराने से नए नर्ष में स्थानांतरित राशि का ब्यौरा दें ?	एमएलएलैड (शहरी विकास विभाग) से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2020–21 एवं 2021–22 में पुराने से नए वर्ष में कोई भी राशि स्थानांतरित नहीं हुई है ।
ग	क्या शहरी विकास विभाग विधायक निधि से होने वाले कार्यों में असल निविदा राशि अनुमानित राशि से कम होने पर कार्य करने वाले विभाग से अतिरिक्त राशि वापिस लेता है,	एमएलएलैड (शहरी विकास विभाग) से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी विभाग में विधायक निधि से असल निविदा राशि अनुमानित राशि से काम होने पर यह राशि उसी विधानसभा कार्यकाल में कार्य पूर्ण होने का प्रस्ताव प्रापत होने पर विधायक निधि में जोड़ दी जाती है ।
घ	यदि हॉ, तो क्या यह वापिस ली गई राशि से संबंधित विधायक निधि की भरपाई की जाती है, और	एमएलएलैड (शहरी विकास विभाग) से प्राप्त जानकारी के अनुसार जी हां ।
ड	यदि हां, तो प्रत्येक विधान सभा के लिए वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में इस प्रकार प्राप्त हुई राशि से विधायक निधि की भरपाई का ब्यौरा दें ?	एमएलएलैड (शहरी विकास विभाग) से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2020–21 एवं 2021–22 में स्वीकृत पूर्ण कार्यो हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतः यह राशि जोड़ी नहीं गयी है ।

Dy. Secretary (U.D./P.G.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02